न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00163 **दायरा दिनांक : 11.04.2018**

उनवान

1. सोसर बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नी रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी कामठा, तहसील किशनगंज, जिला बारां
2. छीतरलाल पुत्र भजनलाल, जाति मीणा, निवासी तुलसां
3. बिशना पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी तुलसां (मृतक)

3/1. शांतिबाई पत्नी बिशना, जाति मीणा, निवासी तुलसां
3/2. सीताबाई पत्नी तेजमल पुत्री बिशना
3/3. विशाखा पुत्री तेजमल नाबा0 आयु 12 वर्ष
3/4. रिद्धिका पुत्री तेजमल नाबा0 आयु 8 वर्ष
3/5. सिद्धिका पुत्री तेजमल नाबा0 आयु 5 वर्ष
जर्ये वली माता सीताबाई पत्नी तेजमल, (तेजमल मृतक) जाति मीणा
3/6. कालीबाई पुत्री बिशना पत्नी नन्दकिशोर, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां
3/7. प्रेमबाई पुत्री बिशना पत्नी ओम प्रकाश, जाति मीणा, निवासी बैंगना, तहसील बारां, जिला बारां
3/8. इन्द्राबाई पुत्री बिशना पत्नी मुकेश, जाति मीणा, निवासी पचेलकलां, तहसील अन्ता, जिला बारां

4. सूरजमल पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी तुलसां, तहसील बारां (मृतक)

4/1. कैलाश बाई पत्नी सूरजमल, जाति मीणा, निवासी तुलसां, तहसील बारां
4/2. राकेश पुत्र सूरजमल, जाति मीणा, निवासी तुलसां, तहसील व जिला बारां
4/3. रविकुमार पुत्र सूरजमल, जाति मीणा, निवासी तुलसां, तहसील व जिला बारां

5. श्योकरण उर्फ शिवकरण पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी तुलसां (मृतक)

5/1. जगन्नाथी पत्नी श्योकरण उर्फ शिवकरण
5/2. कमल पुत्र श्योकरण उर्फ शिवकरण
5/3. मुकेश पुत्र श्योकरण उर्फ शिवकरण
5/4. आशीष पुत्र श्योकरण उर्फ शिवकरण, जातियान मीणा, निवासीगण रटावद, तहसील बारां, जिला बारां

6. कल्याण पुत्र प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासी रटावद
7. कान्हीबाई पत्नी प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
8. रामावतार पुत्र प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
9. पृथ्वीराज पुत्र प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
10. हंसराज पुत्र प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
11. नितेश पुत्र जोधराज, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
12. राजकरन्ता बाई पत्नी जोधराज, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा
13. केलाबाई पत्नी प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी हनुवतखेड़ा, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी रटावद
2. रामदयाल पुत्र मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी रटावद
3. प्रतापबाई पत्नी मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी रटावद (मृतक)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

12/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बी.एल.जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 12.08.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 34/2008 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम तुलसां, तहसील बारां में आराजीयात कुल किता 25 रकबा 23.46 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2009 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2009 विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 824 दिनांक 14.07.2008 तहसीलदार बारां को डिक्री दिनांक 16.03.2009 पालना के लिये लिखा गया जिस पर तहसीलदार बारां द्वारा दिनांक 02.09.2008 को उपखण्ड अधिकारी, बारां को पत्र प्रेषित कर यह जानकारी चाही गई कि वादी के अतिरिक्त शेष खातेदारान को भी शेष भूमि 1/3–1/3 भूमि पर खातेदार घोषित किया गया है लेकिन प्रतिवादीगण खातेदारान को अपने अपने हिस्से पर बैंकों से ऋण ले रखा है। ऐसी स्थिति में भूमि रहन किस प्रकार रहेगा यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2008 को तहसीलदार बारां को लिखा गया कि वादी द्वारा कुल 25 किता कुल रकबा 23.46 हेक्टर का ही दावा किया गया खसरा नं. 6 रकबा 3.03 हेक्टर को छोड़ा गया है, इसे छोड़कर बंटवारा प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार भिजवाने के लिए लिखा गया। तत्पश्चात तहसीलदार, बारां द्वारा दिनांक 06.03.2009 को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा तैयार ना किया जाकर पटवार हल्का तुलसां द्वारा तैयार किया गया है। इसमें नियमों की कोई पालना नहीं की गई है, जबकि विभाजन प्रस्ताव वादी व प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार करना चाहिए था। बंटवारा प्रस्ताव पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव दिनांक 19.01.2009 विधि सम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई तथा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया और ना ही बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्तियां ली गई। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2009 निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2009 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 14.03.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

12/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि अपीलांट ने अंतिम डिक्री की अपील पेश की है। सन् 2004 में प्राथमिक डिक्री जारी हुई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील होने पर दिनांक 23.12.2008 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व हमें सुनवाई का अवसर नहीं दिया ना ही हमें बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने कर अवसर दिया गया तथा ना ही राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की गई है। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत रखी जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का तुलसां द्वारा तैयार किये गये है, जबकि राजस्व मंडल नियमों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए। बंटवारा रिपोर्ट में पक्षकारान में से किसी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित है कि पक्षकारान को मौके पर बुलाया गया है और वो उपस्थित नहीं हुए, अथवा हस्ताक्षर करने से मना किया। बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। बंटवारा प्रस्ताव में सहखातेदारान की प्रस्तावित बंटवारा आराजी पृथक–पृथक स्याही से नहीं दर्शाई गई है। इस प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.03.2009 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं उपस्थित होकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 12/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा